

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 112/2015

संस्थित दिनांक-20/03/2015

फाइलिंग नंबर-230303002812015

- 1- देवेन्द्र सिंह आयु 46 साल
- 2- महावीर सिंह आयु 60 साल पुत्रगण
जगदीश सिंह,
निवासी ग्राम पारसेन थाना बिजौली
जिला ग्वालियर म0प्र0 .

.....अपीलार्थी/आरोपीगण

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद,

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

---प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री आर0पी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता

न्यायालय-श्री केशव सिंह, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-615/2000 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 20/02/2015 से उत्पन्न
दांडिक अपील

--:- निर्णय --:-

(आज दिनांक 27.01.2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपीगण की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री केशव सिंह द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 615/2000 निर्णय दिनांक-20/02/2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा-382 भा0दं0सं0 के अपराध में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं दो-दो सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-03/10/2012 के 13:45 बजे पुलिस थाना में फरियादी रामप्रकाश उर्फ माखन शर्मा ने उपस्थित होकर जुवानी रिपोर्ट की कि वह ग्राम आलौरी का रहने वाला है, दि0-24/09/2000 के दिन में वह अपनी भैंस एक पडिया गांव के पास नर्सरी में चरा रहा था, तभी निवोरी

कुम्हार ने दूर से राम राम की व पुपुआ गूजर व महावीर गूजर चलकर उसके पास आये और उसकी भैंसे हांककर ले जाने लगे । उसने रोका कि कहां ले जा रहे हो ? तो महावीर ने माउजर कटटा अडा दिया और बोला चुपचाप रहे तभी पुपुआ, महावीर व निवोरी कुम्हार तीनों भैंसे जबरन भय दिखाकर चुरा ले गये । घटना पास में बाजरा काट रहे परमाल गूजर ने भी देखी थी । उसके बाद वह अन्नाचपुरा गया तो शोभा गुर्जर मिला उसने कहा कि महावीर उसका भाई पुपुआ भैंसे हांककर लाया था । दो तीन दिन तलाश किया नहीं किया नहीं मिला । उसके बाद वह अपने गांव आ गया तब आज सुबह महावीर उसके घर आलौरी आया बोला पांच हजार रुपये दे तब भैंसे वापिस कर दूंगा उसने कहा कि रुपये नहीं है, तब महावीर ने कहा कि रिपोर्ट मत करना फिर मैं रिपोर्ट को आया हूँ। उक्त आशय की घटना की रिपोर्ट अप.क्र. -193/2000 पर मूल अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-382 भा0दं0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया । विचारणोपरांत अपीलार्थी/आरोपीगण को आरोपीगण को धारा-382 भा0दं0सं0 के अपराध में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं दो-दो सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलार्थी ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि अभियोजन साक्षीगण रामप्रकाश अ.सा.-2, परमाल अ.सा.-3, राकेश अ.सा.-4, पुरुषोत्तम अ.सा.-5, दीनानाथ अ.सा.-6, पप्पू उर्फ शरद कुमार अ.सा.-7, लोकेन्द्र सिंह तोमर आदि की साक्ष्य अपीलार्थी/आरोपीगण की अनुपस्थिति में कराई गयी है । जिनके कथनों से भी अभियोजन के दस्तावेज रिपोर्ट, जब्ती पत्रक, गिरफ्तारी आदि प्रमाणित नहीं होते हैं । जब्ती के साक्षियों ने मात्र हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है किन्तु इसके आधार पर जब्ती पत्रक प्रमाणित नहीं होता है, जिसे निर्णय करते समय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा करके आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा पारित किया है । फरियादी ने बिलंब से रिपोर्ट लिखायी है और बिलंब का कारण भी स्पष्ट नहीं होने से घटना संदिग्ध हो जाती है और जब्ती व गिरफ्तारी के साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है । इससे भी घटना पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है । और अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से भी घटना पूर्णतः संदिग्ध हो जाती है । मात्र अनुसंधान अधिकारी के कथन के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आलोच्य निर्णय पारित किया, जो निरस्ती योग्य है । अतः अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

5. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1. "क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?"
2. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

--- निष्कर्ष के आधार ---

6. आरोपी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी/अपीलार्थीगण का फरियादी रामप्रकाश से विचारण के दौरान समझौता हो गया था किन्तु अपराध समझौता योग्य न होने से समझौता निरस्त हुआ था किन्तु आरोपी/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोजन की साक्ष्य नहीं आई है। जप्ती गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी पक्ष विरोधी हैं। कोई निष्पक्ष साक्षी अभियोजन की ओर से पेश नहीं हुआ है। घटना के बताये गये चक्षुदर्शी परमाल के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी रामप्रकाश के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य और कथानक में विरोधाभास है इसलिये विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने फरियादी रामप्रकाश एवं विवेचक की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर दोषसिद्धि कर दण्डाज्ञा अधिरोपित की है जो कि विधि विरुद्ध है क्योंकि जप्ती प्रमाणित नहीं है इसलिये विवेचक की साक्ष्य महत्वहीन है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय को अपास्त कर आरोपी/अपीलार्थीगण का दोषमुक्त किया जावे। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा विरोध करते हुए यह तर्क किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करते हुए उचित दण्डाज्ञा अधिरोपित की है क्योंकि घटना की रिपोर्ट नामजद हुई थी और फरियादी के द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण के विरुद्ध स्पष्ट साक्ष्य दी गई है जिसका खण्डन नहीं है। इसलिये उसकी अकेले की साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि हो सकती है और आरोपी/अपीलार्थीगण को झूठा फंसाये जाने का कोई आधार नहीं है इसीलिये दांडिक अपील निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा को यथावत रखा जावे।

7. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय का भी अध्ययन किया गया। दांडिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि अपीलार्थी न्यायालय को विचारण न्यायालय की भांति साक्ष्य का गुण-दोषों पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर

उर्फ रामगोपाल 2006 पार्ट-1 मध्यप्रदेश विधि भास्वर (एस0सी0)

पेज-1 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने पर अभियोजन के कथानक अनुसार घटना मूलतः इस प्रकार की बताई गई है कि दिनांक 27.09.2000 को दिन में करीब 12.00 बजे जब फरियादी रामप्रकाश उर्फ माखन शर्मा ग्राम आलौरी में नर्सरी जंगल के पास अपनी भैंसे चरा रहा था तब वहाँ पर तीन लोग निवोरी कुम्हार, पपुआ उर्फ देवेन्द्र एवं महावीर गुर्जर आकर उसकी भैंसों को हांककर ले जाने लगे। रोकने पर महावीर ने माउजर कट्टा उस पर आकर लगाकर चुपचाप रहने को कहा। और तीनों जबरन भय दिखाकर उसकी भैंसें हांककर ले गये। पास में बाजरा काट रहे परमाल गुर्जर को उसने घटना के बारे में बताया तो उसने भी आरोपीगण को भैंस ले जाते हुए देखा। फिर वह अन्नानापुरा पहुँचा। वहाँ शोभा गुर्जर को बताया। दो तीन वह भैंसों और महावीर की तलाश करता रहा। फिर रिपोर्ट दिनांक 03.10.2000 को सुबह आरोपी महावीर ने उसके घर आकर पांच हजार रुपये भैंस वापिस करने के ऐवज में मांगे। मना करने पर रिपोर्ट न करने को कहा तब उसने घटना की रिपोर्ट निवोरी पपुआ उर्फ देवेन्द्र व महावीर के विरुद्ध नामजद की। विचारण के दौरान फरियादी से भैंसें बरामद होने पर शिनाख्ती भी कराई गई। आरोपीगण के विवेचना में पकड़े जाने पर और उनके द्वारा पूछताछ करने पर दिये गये मेमोरेण्डमों के आधार पर महावीर से एक भैंस व एक पड़िया तथा पपुआ उर्फ देवेन्द्र से एक भैंस जप्त करना बताई गई है।
9. इस प्रकार से प्रकरण के लिये फरियादी ओमप्रकाश, परमाल गुर्जर, शोभा गुर्जर के अलावा मेमोरेण्डम व जप्ती के साक्षी और विवेचक महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं। जिनमें से शोभा गुर्जर को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। तथा परमाल अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को जानना तो बताया है किन्तु घटना के विषय में जानकारी से इन्कार करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि उसने आरोपीगण को चोरी से भैंसें ले जाते हुए नहीं देखा था। उसे केवल ओमप्रकाश ने यह जानकारी दी थी कि उसकी भैंसें व पड़िया चोरी चली गई हैं। उक्त साक्षी ने प्र0पी0-5 का कथन पुलिस को देने से इन्कार किया है। अ0सा0-2 को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी भी घोषित नहीं किया गया है। ऐसा साक्षी जिसे अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया जाता है और वह अभियोजन का समर्थन भी करता है तो ऐसे साक्षी की अभिसाक्ष्य अभियोजन पर बंधनकारी प्रभाव रखता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **राकेश विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2005 भाग-2 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-46** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। ऐसे में परमाल के समर्थन न करने से और उसे पक्ष विरोधी घोषित न करने से अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और शेष साक्षियों की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना अपेक्षित हो जाता है। क्योंकि घटना के अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिनका एफ0आई0आर0 प्र0पी0-1 में उल्लेख है। उनकी ओरसे कोई घटना का समर्थन नहीं है।

10. अन्य परीक्षित साक्षियों में से राकेश अ0सा0-3 एवं दीनानाथ अ0सा0-6 जो कि दोषमुक्त आरोपी निवोरी के मेमोरेण्डम से संबंधित साक्षी होकर प्र0पी0-6 व 7 के साक्षीगण हैं जिनकी इस निर्णय में विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आरोपी निबोरी की दोषमुक्ति के विरुद्ध शासन की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई है और विचाराधीन दांडिक अपील में आरोपी/अपीलार्थीगण देवेन्द्र उर्फ पप्पू व महावीर के संबंध में निराकरण होना है।
11. आरोपी महावीर का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-8 व देवेन्द्र का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-9 है तथा आरोपी महावीर से एक भैंस और एक पड़िया की जप्ती प्र0पी0-10 द्वारा की जाना बताई गई है। पपुआ उर्फ देवेन्द्र से प्र0पी0-11 मुताबिक एक भैंस की जप्ती बताई गई है जिनके कोई मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये गये हैं। मेमोरेण्डम कथन मात्र निवोरी आरोपी का लिया गया था। निबोरी से कोई जप्ती नहीं हुई है और विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी निबोरी को दोषमुक्त किया जा चुका है। आरोपी महावीर और देवेन्द्र की जो जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-8 लगायत 11 हैं, के साक्षियों में से पप्पू उर्फ शरदकुमार को अ0सा0-6 के रूप में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण को नहीं पहचाना है न ही गिरफ्तार किये जाने और उनसे कोई जप्ती होने का समर्थन किया है। उसने केवल प्र0पी0-8 लगायत 11 पर मात्र अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। उसे भी अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है। इसलिये उसका अभिसाक्ष्य भी अभियोजन पर बंधनकारी है।
12. प्र0पी0-8 लगायत 11 का दूसरा पंच साक्षी आरक्षक क्रमांक-22 राकेशसिंह था। उसे अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। ऐसे में जप्ती गिरफ्तारी पत्रकों के अनुश्रुत साक्षियों से भी घटना का कोई समर्थन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के फरियादी रामप्रकाश अ0सा0-1 और विवेचक लोकेन्द्रसिंह तोमर अ0सा0-7 ही शेष साक्षी रह जाते हैं जिनके विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि पुरुषोत्तम अ0सा0-4 के रूप में परीक्षित हुआ है। उसने शिनाख्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है। उसने केवल शिनाख्ती पत्रक प्र0पी0-4 पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं। और भैंसों की शिनाख्ती के संबंध में फरियादी रामप्रकाश अ0सा0-1 ने भी अभियोजन के कथानक अनुरूप समर्थन नहीं किया है। क्योंकि उसने पैरा-3 में शिनाख्ती के कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करना बताये हैं। थाने पर ही भैंसों देखना बताई है और यह भी कहा है कि उसकी भैंसों के अलावा और कोई भैंस नहीं थी। वह यह भी कहता है कि भैंसों खोने के तीन महीने बाद उसने रिपोर्ट की थी। जबकि प्र0पी0-4 के शिनाख्ती पत्रक मुताबिक आरोपी/अपीलार्थीगण से जो भैंसें पड़ियाँ बरामद हुई, उनकी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौ रोड गोहद में ग्राम पंचायत इटांयदा के सरपंच पुरुषोत्तम सिंह गुर्जर के द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही कराई जाना बताई गई है। जबकि इस प्रकार का पुरुषोत्तम अ0सा0-4 कोई समर्थन नहीं करता है। न ही रामप्रकाश अ0सा0-1 समर्थन करता है जिससे शिनाख्ती की कार्यवाही विधि अनुरूप न होने से दूषित है।

जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय में प्रदूषित होना लेख किया है और प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या एफ0आई0आर0 का वृत्तांत अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य से और प्र0पी0-8 लगायत 11 के दस्तावेज अनुसार अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है या नहीं क्योंकि उनके आधार पर ही विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि कर दण्डित किया गया है।

13. रामप्रकाश अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य में उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में यह कहा गया है कि वह अपनी भैंसें नर्सरी में चरा रहा था जब महावीर और पप्पू उसकी भैंसें हांककर ले गये थे। रोकने पर पप्पू ने उसे पकड़ लिया था और महावीर भैंसें हांककर ले गया था। वह अन्नानापुरा गया था। भैंसें देने को कहा था तो महावीर ने यह कहा था कि भैंसें उसके यहाँ नहीं हैं फिर वह घर लौट आया था और उसने थाने में प्र0पी0-1 की रिपोर्ट की थी। उसका ऐसा भी कहना रहा है कि निवोरी कुम्हार महावीर व पप्पू के साथ नहीं था और उसका नाम उसने रिपोर्ट में नहीं लिखाया था। निवोरी ने उससे रामराम भी नहीं की थी। प्र0पी0-3 के पुलिस को दिये गये कथन में भी उसने निवोरी के संबंध में पुलिस को यह बात नहीं बताई थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर उसे आलोच्य निर्णय मुताबिक दोषमुक्त पूर्व में किया था। यह सही है कि जिस आरोपी के संबंध में साक्ष्य न दी जावे उसका फायदा उस आरोपी को प्राप्त होगा अन्य सह अभियुक्त उसके आधार पर दोषमुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। किन्तु जहाँ घटनाक्रम में ही और घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ ऐसे महत्वपूर्ण साक्षी के अभिसाक्ष्य की अत्यंत सूक्ष्मता से मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। हस्तगत मामले में रामप्रकाश अ0सा0-1 जो कि प्रकरण का फरियादी है, जिसके द्वारा नामजद रिपोर्ट की गई थी, ऐसे में उसकी अभिसाक्ष्य में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभाष उत्पन्न होना साधारण रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है बल्कि विरोधाभाष की स्थिति में उसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

14. प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 मुताबिक घटना 27.09.2000 की बताई गई है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 03.10.2000 को की गई जिसमें फरियादी के आधिपत्य से ही जबरन भय दिखाकर भैंसों को हांककर ले जाने की घटना बताई गई है। ऐसे में तत्काल रिपोर्ट न किये जाने का जो कारण एफ0आई0आर0 प्र0पी0-1 की कण्डिका-8 में उल्लेखित किया गया है कि फरियादी भैंसों का पीछा करता रहा। और फिरौती मांगने पर न देने पर रिपोर्ट को आया जबकि कथानक मुताबिक भैंसें ले जाने पर फरियादी द्वारा आरोपीगण का पीछा किया गया था। अन्नानपुरा तक वह गया था। जहाँ उसे शोभा गुर्जर मिला जिससे उसने घटना बताई। उसके पूर्व घटनास्थल के पूर्व बाजरा काट रहे परमाल गुर्जर को भी घटना बताई। ऐस में शीघ्र रिपोर्ट की जानी चाहिए थी और जिस अवधि का विलंब हुआ है उसका स्पष्टीकरण अ0सा0-1 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं आया है। प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 में दो तीन दिनप महावीर और भैंसों को तलाशते रहना बताया है। उसके बाद रिपोर्ट वाले दिन महावीर का ही फरियादी के घर आना बताया गया है। इन

तथ्यों पर गौर किया जावे तो कथानक और अ0सा0-1 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गंभीर स्वरूप के विरोधाभाष उत्पन्न हुए हैं क्योंकि अ0सा0-1 पैरा-3 में भैंसें सावन के महीने में नागपंचमी वाले दिन खोना बताता है और तीन महीने बाद रिपोर्ट करना कहता है जबकि रिपोर्ट करीब 6-7 दिन बाद ही की जाना प्र0पी0-1 से दर्शित होता है।

15. पैरा-4 में उक्त साक्षी पुलिस को प्र0पी0-1 की एफ0आई0आर0 और प्र0पी0-3 के कथन में आरोपीगण द्वारा चोरी करके ले जाने वाली बात लिखाने से इन्कार करता है। परमाल, शोभाराम को चक्षुदर्शी साक्षी बताता है जिनका अभिलेख पर समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है वह दो तीन दिनों तक भैंसों को तलाश करने वाली बात भी पुलिस को प्र0पी0-1 में लिखाने से इन्कार करता है। एफ0आई0आर0 में इस बात का भी उल्लेख है कि आरोपी महावीर व फरियादी के घर रिपोर्ट वाले दिन सुबह आया था और पांच हजार रुपये की मांग की थी जिससे उसने मना कर दिया था। फिर रिपोर्ट को गया। इस तथ्य से भी पैरा-4 में वह इन्कार करता है और यह बताता है कि किसी व्यक्ति ने उससे ऐसा नहीं कहा कि रुपये दो तो भैंसें वापिस करा देंगे। पैरा-5 में वह यह भी कहता है कि पहले उसने बिजौली थाने में रिपोर्ट की थी उसके बाद गोहद थाने में रिपोर्ट की थी। लेकिन यह तथ्य भी कथानक में नहीं है। ऐसे में अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण विश्वसनीय मानते हुए दोषसिद्धि की है। जबकि शिनाख्ती के बिन्दु पर उसकी अभिसाक्ष्य को नकारा गया है।
16. अ0सा0-1 रामप्रकाश के अभिसाक्ष्य में ऐसा तथ्य नहीं आया है कि भैंस ले जाने से रोकने पर महावीर ने उसे माउजर कट्टा अड़ाया था। और फिर तीनों भैंसें भय दिखाकर हांककर ले गये थे। बल्कि वह भैंसें ले जाते समय विरोध न करने का यह कारण बताता है कि आरोपीगण उससे काफी तगड़े थे। हथियार का भय दिखाने में इस्तेमाल की बात उसने नहीं बताई है। इन बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय के समय विचार नहीं किया गया है।
17. जहाँ तक विवेचक की साक्ष्य का प्रश्न है, ए0एस0आई0 लोकेन्द्रसिंह तोमर अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 14.11.2000 को थाना गोहद के अप0क्र0-193/2000 धारा-382 भा0द0वि0 की विवेचना प्राप्त होने पर महावीर एवं पप्पू उर्फ देवेन्द्र को प्र0पी0-8 व 9 के गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार करना बताया है। आरोपी महावीर के कब्जे से एक भैंस एक पड़िया की जप्ती प्र0पी0-10 मुताबिक और देवेन्द्र से एक भैंस की जप्ती प्र0पी0-11 मुताबिक करना बताई है। पैरा-2 में यह कहा है कि जप्ती पत्रक उसने बंधा गोहद के पास बैठकर बनाया था। जिसकी जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही का प्रतिपरीक्षा में सुझाव देकर खण्डन अवश्य नहीं है। किन्तु एफ0आई0आर0 प्र0पी0-1 का वृत्तांत रामप्रकाश अ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है और रामप्रकाश विश्वसनीय साक्षी नहीं माना गया है। प्र0पी0-8 लगायत 11 का पंच साक्षियों से समर्थन नहीं है।
18. गिरफ्तारी को आरोपी/अपीलार्थीगण ने धारा-313 दफ़्तर के अभियुक्त परीक्षण में भी स्वीकारा है। गिरफ्तार होने मात्र से चोरी करने

और उसके पश्चात निकल भागने में भय कारित करने की तैयारी के साथ चोरी की घटना का जो आरोप विरचित किया गया है, वह अ0सा0-7 की साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है क्योंकि शिनाख्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हुई है जिससे यदि यह मान भी लिया जावे कि अ0सा0-7 के द्वारा महावीर से एक भैंस, एक पड़िया और देवेन्द्र उर्फ पप्पू से एक भैंस की जप्ती हुई थी तो वे भैंस व पड़िया फरियादी रामप्रकाश की ही चोरी होने वाली थीं, यह स्थापित नहीं हुआ है। इसलिये भी मामला संदिग्ध है। और इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण का धारा-382 भादवि में की गई दोषसिद्धि और अधिरोपित दण्डाज्ञा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि मामला संदिग्ध है और संदेह का लाभ हमेशा ही आरोपी को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दाण्डिक अपील वाद विचार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय को अपास्त करते हुए धारा-382 भा0द0वि0 में की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुए उन्हें धारा-382 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. आरोपी/अपीलार्थीगण के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. अधीनस्थ न्यायालय में आरोपी/अपीलार्थीगण द्वारा जमाशुदा दो दो सौ रुपये अपील/निगरानी अवधि उपरान्त विधिवत वापिस किये जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय/निगरानी न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

21. प्रकरण में आरोपी/अपीलार्थीगण के न्यायिक निरोध में रहने की अवधि का धारा-428 दप्रसं का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार नहीं किया गया है।

22. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका-22 को यथावत रखा जाता है।

23. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 27.01.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड